vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- i:th;u- l:[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 14 vad % 07 y[kuÅ] jfookj 21 eb 2023 l 27 eb 2023 rd i"B&8 eY; % ,d

मेगा परियोजनाओं की स्थापना और संचालन की दिशा में अहम पहल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश की नई बयार को गति देने के लिए प्रयासरत योगी आदित्यनाथ सरकार अब मेगा परियोजनाओं की स्थापना और संचालन की दिशा में अहम पहल करने जा रही है। उतर प्रदेश में १० से १२ फरवरी के बीच हुई ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट २०२३ के दौरान जिन मेगा परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा तय हुई थी, अब उन्हें रफ्तार देने के लिए प्रोत्साहन, विशेष सुविधाएं और रियायत देने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना और सफल संचालन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति के तहत ८ मेगा परियोजनाओं को रियायतों की पहली किस्त की प्रतिपूर्ति के लिए १४६ करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिन मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की पहली किस्त जारी की गई है उनमें जेपी सीमेन्ट अलीगढ़, आरसीसीपीएल प्रा. लि. रायबरेली और गैलेन्ट इस्पात लि. गोरखपुर मुख्य तौर पर शामिल है। हाल ही में अवस्थापना एवं

औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप इन औद्योगिक उपक्रमों को इनकी पात्रता के अनुसार प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है। जेके सीमेन्ट वर्क्घ्स अलीगढ़ (जेके सीमेन्ट लि. की एक इकाई) को वित्तीय वर्ष २०२०–२१ के लिए कुल २१.८५ करोड़ रुपए और २०२१–२०२२ के लिए १२.५२ करोड़ रुपए की प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार मेसर्स पसवारा पेपर्स लि. मेरठ को प्रोत्साहन राशि के तौर पर १२.६५ करोड़ की प्रतिपूर्ति होगी। इसमें से ११.०२ करोड़ रुपए की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और पूंजिगत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के तौर पर १.६३ करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। हरदोई के सण्डीला स्थित वरुण बेवरेजेस लि. को वर्ष २०२१–२२ के लिए ८.५२ करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति होगी। वहीं, गैलेन्ट इस्पात लि. गोरखपुर को दो केटेगरी में कुल १५.६६ करोड़ रुपए (६.८८ और ६.०८ करोड़ रुपए) की पहली प्रतिपूर्ति राशि आवंटित होगी। इसके अलावा, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कानपुर देहात को ३.६६ करोड़ रुपए, आरसीसीपीएल प्रा. लि. रायबरेली को ४६.५५ करोड़ रुपए और श्री सीमेन्ट प्रा. लि. बुलन्दशहर को तीन केटेगरीज के तहत कुल २४.२८ करोड़ रुपए की पहली प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नया नेतृत्व नये कर्नाटक का निर्माण करेगाः अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्य्यमंत्री बनने पर बधाई दी और उम्मीद जतायी कि नया नेतृत्व नये कर्नाटक का निर्माण करेगा। सपा प्रमुख ने आज देर शाम कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट किया है, ''कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिद्धरमैया जी एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में श्री डीके शिवकुमार जी को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी टप्वीट में उन्होंने कहा है, आशा है नया नेतृत्व नये कर्नाटक का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के एक सप्ताह बाद शनिवार को सिद्धरमैया के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक में २२४ सदस्यीय विधानसभा के लिए १० मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने १३५ सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा नीत जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमशरू ६६ और १६ सीट पर जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम १३ मई को घोषित किये गये थे।

भारत में कोविड-१९ के ७८२ नए मामले, संक्रमण से छह लोगों की मौत

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के ७८२ नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर ४,४६,८५,७०५ हो गई है। वहीं, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर ८,६७५ रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, कोविड–१६ से छह और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर ५,३१,८२४ हो गई है। मृतकों में वे तीन लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनरूमिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का ०.०२ प्रतिशत है, जबकि संक्रमितों के कोविड–१६ से उबरने की राष्ट्रीय दर ६८.८० फीसदी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में अभी तक कुल ४,४४,४५,२०६ लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड–१६ से मृत्यु दर १.१८ प्रतिशत है। वेबसाइट के अनुसार, देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड–१६ रोधी टीकों की २,२०,६६,६६,८५० खुराक लगाई जा चुकी हैं।

नए संसद भवन देश की आशाओं को करेगा पूरा बिरला

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नवनिर्मित भवन को भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने वाला बताते हुए दावा

किया है कि संसद के इस नए भवन में सदस्य (सांसद) देश व नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को और बेहतर निष्पादित कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का नवनिर्मित भवन १४० करोड़ से अधिक देशवासियों की आशाओं और अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा। बिरला ने संसद के नवनिर्मित भवन को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनने का दावा करते हुए ट्वीट कर कहा, संसद का नवनिर्मित भवन १४० करोड़ से अधिक देशवासियों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए वर्ष २०४७ तक विकसित भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को सिद्धी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बनेगा। ओम बिरला ने इस नए भवन में सांसदों द्वारा अपने दायित्वों के बेहतर निष्पादन का दावा करते हुए आगे कहा, संसद का नवनिर्मित भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करेगा। इस भवन में माननीय सदस्य देश व नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को और बेहतर निष्पादित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २८ मई को इस भवन को देश को समर्पित करेंगे।

1984 सिख विरोधी दंगाः टाइटलर पर चार्जशीट

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ३६ साल पुराने सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ नये सबूतों के बाद चार्जशीट में कांग्रेस नेता का नाम लिया गया था। पिछले महीने, सीबीआई ने दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे। कांग्रेस नेता पर

पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। सीबीआई (ब्ठ्) ने २२ नवंबर २००५ को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के बारा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। सीबीआई ने २२ नवंबर २००५ को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश में एक भीड़ द्वारा आग लगा लगाने का मामला दर्ज किया था। जिसमें सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के तीन लोगों को जला दिया गया था। घटना १ नवंबर १६८४ को गुरुद्वारा पुल बंगश में हुई थी। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में वर्ष १६८४ के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २००० में जस्टिस नानावती आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश जारी किया था। अधिकारी ने आगे कहा कि सीबीआई जांच के दौरान, सबूत सामने आए कि १ नवंबर १६८४ को उक्त आरोपी ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया और दुकानों को जलाने और लूटने के अलावा भीड़ ने तीन सिखों की हत्या भी कर दी थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद आज आरोप पत्र दायर किया गया है

सम्पादकीय

ईयू तर्क स्वीकार करने को तैयार

भारत–ईयू के बीच फिलहाल सबसे विवादास्पद मुद्दा ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। इसके तहत जनवरी २०२६ से दूसरे देशों से ईयू आने वाले कुछ उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगेगा। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के आर्थिक हितों में समानता नहीं है, यह बात बार–बार जाहिर हुई है। लेकिन दोनों पक्षों की कूटनीतिक जरूरतें संभवतः अवश्य समान हैं। इसलिए दोनों पक्षों में बार–बार व्यापार समझौते पर वार्ता आयोजित की जाती है, हालांकि वह कहीं पहुंचती नहीं दिखती। वार्ता के ताजा संस्करण का हाल इससे अलग होगा, इसकी संभावना कम ही है। भारत सरकार के तीन मंत्री इस वार्ता में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स पहुंचे। वहां भारत–ईयू व्यापार और तकनीक परिषद की बैठक शुरू हुई है। लेकिन यह आरंभ में ही स्पष्ट हो गया कि बैठक से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं है। ईयू के एक नियम को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। इस परिषद की के गठन घोषणा २०२२ में यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फोन डेय लायन की भारत यात्रा के दौरान हुई थी। फरवरी २०२३ में आधिकारिक रूप से परिषद की स्थापना की गई और अब बेल्जियम में इसकी पहली शीर्ष बैठक आयोजित हुई है। परिषद का उद्देश्य भारत और ईयू के बीच व्यापार और तकनीक के क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत और ईयू के बीच इस समय सबसे विवादास्पद मुद्दा हाल ही में ईयू द्वारा मंजूर किया गया ईयू कार्बन ब र्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। इसके तहत जनवरी २०२६ से दूसरे देशों से ईयू आने वाले कुछ उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगेगा। यह टैक्स उन देशों के उत्पादों के आयात पर लगेगा, जहां उत्पादन मुख्य तौर पर कोयले से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। इनमें भारत भी शामिल है। लिहाजा भारत से स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट और खाद जैसे उत्पाद ईयू निर्यात करने वाली कंपनियों को यह कर भरना पड़ेगा। इससे ईयू में इन उत्पादों का दाम भी बढ़ जाएगा और उनके लिए दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा। भारत ने कहा है कि यह टैक्स व्यापार के रास्ते में एक अवरोधक है। इससे विश्व व्यापार संगठनों के नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। मगर ईयू फिलहाल इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहा है। जाहिर है, दोनों पक्षों की समझ और हितों में टकराव बना हुआ है।

सामान जब्त कर दुकानदारों से वसूला जुर्माना

लखनऊ। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण ध्वस्त किया। साथ ही सामान जब्त कर जुर्माना वसूला। शुक्रवार को शहर में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण के खिलाफ वृहद अभियान चला। जोन–१ में नावेल्टी चौराहे से होते हुए कैपर रोड से बाल्मीकि मार्ग से डीएम आवास तक व दया निधान पार्क से अशोक मार्ग इलाहाबाद बैंक के आसपास तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान १२ ठेले, एक गुमटी, नौ स्थानों से नाली पर किया अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया और ट्रक सामान जब्त किया गया। वहीं, जोन–२ में राजाजीपुरम ई–ब्लाक मार्केट पर अतिक्रमण हटाया गया। साथ थी मुख्य मार्ग से १० वेंडरों को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया। जोन–४ में विराम खंड से हुसडिया चौराहा होते हुए मटियारी चौराहे से लोहिया हास्पिटल तक कार्रवाई की गई। यहां से ठेले, खुमचा व अवैध पार्किंग हटाते हुए जगह पुलिस अभिरक्षा में दी गई। इसी तरह जोन–५ में ंष्णा नगर, सरोजनीनगर में मेट्रो स्टेशन ंष्णा नगर से सहसोवीर मन्दिर तक व सरोजनी नगर के नादरगंज से पश्चिमी जोन के थाना–मानक नगर के बारा बिरवा चौराह से पारा रोड के दोनों फुटपाथ कब्जामुक्त कराया गया। यहां चार हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। जोन–६ अंतर्गत ठाकुरगंज चौराहे से बालागंज चौराहे तक ठेले, बैनर, होल्डिंग को हटाने के साथ ४,७०० रुपये का जुर्माना वसूला गया। जोन–७ में भी सड़क, डिवाइडर, नाला, नाली से मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से खलीफा होटल तक अतिक्रमण हटाया गया। जोन–८ में सुशान्त गोल्फ सिटी थाना के अर्न्तगत अर्जुन गंज मोड़ से मरी माता मन्दिर तक व बिजनौर थाना के अन्तर्गत सीआरपीएफ गेट नम्बर तीन से सरवन नगर तक कार्रवाई की गई। यहां झुग्गी–झोपड, तराजू व प्रचार बोर्ड, बैनर आदि जब्त किए गए।

गोरक्षपीठ के देव लोक का विस्तार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से करेंगे प्राण प्रतिष्ठा

गोरखपुर। नौ नवीन देव मंदिरों में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही रविवार को गोरक्षपीठ के देव लोक का विस्तार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में ८ मई से ही दो चरणों मे चल रहे आनुष्ठानिक कार्यक्रम भी रविवार को पूर्ण हो जाएंगे। शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने नौ देवी–देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दो चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ ८ मई को ही हो चुका है। प्रथम चरण में १४ मई तक सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण ज्ञानयज्ञ का आयोजन हुआ था। सप्त दिवसीय द्वितीय चरण के अनुष्ठान का शुभारंभ १५ मई को श्रीलक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के साथ हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों की पूर्णाहुति रविवार को होगी। पूर्णाहुति के साथ ही गोरक्षपीठाध ीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चल रहे अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर आ चुके हैं।

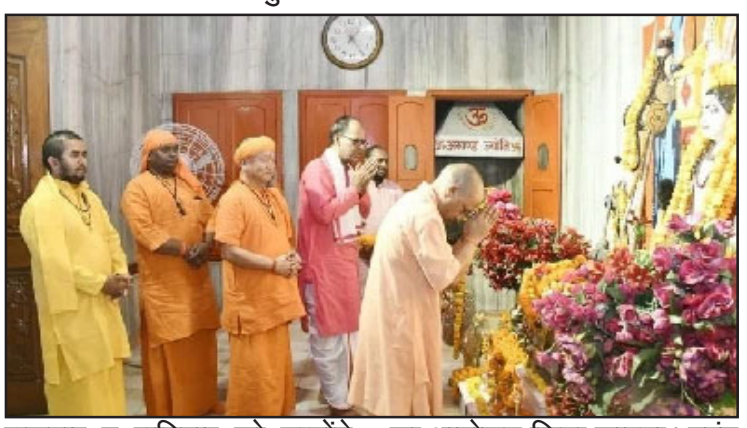

शुक्रवार व शनिवार को उन्होंने श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ में आहुतियां डालीं और श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए देश के कई प्रमुख ध र्माचार्य, महंत व साधु–संत भी गोरक्षपीठ में उपस्थित रहेंगे। श्री हनुमान जी, श्री राम दरबार, श्री राधोकृष्ण, श्री दशावतार विष्णु जी, श्री नवग्रह मंदिर, श्री संतोषी माता जी, श्री छट्ठी माता जी, श्री हट्ठी माता जी एवं श्री बाल देवी जी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवीन मंदिरों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रविवार (२१ मई) सायंकाल छह बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित भजन संध्या में सुपरिचित भजन गायक, श्जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगेश फेम कन्हैया मित्तल सुमधुर भजनों की प्रस्तुति करेंगे। श्री मित्तल ने वीडियो संदेश जारी कर सभी श्रद्धालुओं से भजन संध्या में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है।

भाजपा के झूठे वादों से हर कोई परेशान : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आने के बाद सिर्फ झूठे वादे कर रही है जिससे समाज का हर वर्ग परेशान है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि किसान और गरीब सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। भाजपा की केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकारें जनता को सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है। जनता अब समझ चुकी है और वह भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। परेशान जनता अब बस चंद महीनों के बाद ही होने वाले २०२४ के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का इंतजाम कर रही है।उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव समाप्त हुए खाद्य सामग्री लोगों की पहुंच से बाहर होने लगी है। अरहर की दाल ३० रूपये महंगी हो गई। बेसन, चीनी, रसोई गैस के भी दाम बढ़ गये। किसान को फसल की लागत भी नहीं मिल रही है जबकि खाद, बीज,

कीटनाशक आदि के दाम बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की तो बहुत ही दुर्दशा है। खेती–किसानी अब मुनाफे का धंधा नहीं रह गयी है। हमेशा वह घाटे में ही रहती है। भाजपा सरकार एमएसपी का बहाना क्यों करती है जबकि किसानों को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कभी नहीं मिला है। गेहूं, धान के क्रय केन्द्रों पर किसान की फसल की खरीद में तमाम अड़चने लगाई जाती है। घटतौली, समय से भुगतान न होने की शिकायतें आम हैं। क्रय केन्द्रों की अव्यवस्था के चलते निराश किसान अपनी फसल को बिचौलियों के हाथ औने–पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के छल–छद्म का हाल इससे बुरा क्या होगा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वादों का भी ख्याल नहीं किया। किसानों की आय २०२२ तक दुगना करने के वायदे का क्या हुआ। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गन्ना किसानों के भुगतान का भी वादा भाजपा ने भुला दिया।

नगर निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस हाल ही में सम्पन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। इसके लिये २२ मई को पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलायी गयी है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक अशोक सिंह ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आगामी २२ मई को पार्टी मुख्यालय में बुलायी गयी है जहां प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारी तथा जिलाध्शहर अध्यक्ष निकाय चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। बैठक में कांग्रेस के सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित सूचनाओं समेत जिलाध शहर अध्यक्षों को बैठक में आने के लिये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से परिपत्र भेजकर बुलाया गया है। सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी सम्पन्न हुए नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। बैठक में प्रदेश भर में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के प्रदर्शन और आने वाले समय में आम जनता को पार्टी के प्रति कैसे जोड़ा जाये इस पर रणनीति बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया जायेगा।

कांग्रेस ने कर्नाटक की नई सरकार में दलितों, मुसलमानों की उपेक्षा की : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुनते समय ''जातिवादी मानसिकता'' के कारण दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने का शनिवार को आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट किया, ''कर्नाटक विधानसभा चुनाव के उपरान्त मंत्रिमण्डल में डी. के. शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अन्दरुनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किन्तु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया।'' उन्होंने कहा, ''कांग्रेस द्वारा

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी की पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को उपमुख्यमंत्री नहीं बनाना, यह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है अर्थात इन्हें ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहें।'' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धरमैया के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री बने हैं। गौरतलब हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बसपा ने १३३ सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई थी।

डीजीपी मुख्यालय कर रहा है फरार चल रही शाइस्ता की मामले की मॉनिटरिंग

लखनऊ। उमेश पाल की सनसनीखेज हत्या के मामले में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए छलावा साबित हो रही है। इनाम घोषित करने के साथ ही लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी उसकी कोई खोज खबर

नहीं लग रही है। यूपी पुलिस के साथ ही अन्य जांच एजेंसियों ने तलाश की, अब उच्च स्तर से मॉनीटिरिंग की जा रही है। मॉनीटिरिंग डीजीपी मुख्यालय के जिम्मेदार अफसरों के स्तर से की जा रही है। प्रयागराज पुलिस के साथ ही अन्य जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में की जा रही कवायद के हर कदम की जानकारी ली जा रही है। विभाग के सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियां शाइस्ता के तमाम संपर्कों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगातार जारी है, पर अभी कोई सुराग नहीं मिल सका है। शाइस्ता के सभी संभावित ठिकानों के साथ ही उसके सभी संपर्कों पर नजर रखी जा रही है। जांच में लगी टीमें अतीक और शाइस्ता का लखनऊ, गुजरात, दिल्ली और मुंबई कनेक्शन खंगाल रही हैं। हरसंभव कोशिशों के बावजूद पकड़ से बाहर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। एफआईआर में तो यह भी उल्लेख किया गया है कि शाइस्ता अपने साथ शूटर रखती है। हाल ही में पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि यह लोग देश छोड़कर कहीं भाग न सकें। इस लुकआउट नोटिस की अवधि एक साल की है। यूपी के अलावा कई प्रदेशों में इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा चुकी है, पर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है।

फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी से परे ाान होकर लड़के के पिता ने की खुदकुशी

लखनऊ। लड़की न पसंद आने पर किसान के बेटे ने शादी से मना कर दिया। बेटी की सगाई टूटते देख लड़की पक्ष के लोग लड़के के पिता को फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देने लगे। जिससे आहत होकर शुक्रवार सुबह अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पारा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पारा प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय ने बताया कि सलेमपुर पतौरा निवासी किसान राम प्रसाद (५५) ने शुक्रवार सुबह घर के कमरे में लगी लोहे की छड़ में रस्सी के सहारे फंदा लगा आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे अंकित कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के शिवबरन कनौजिया ने उसकी शादी माल थानाक्षेत्र के बख्खाखेड़ा गांव की एक लड़की से तय कराई थी। अंकित पिता, बहन और बहनोई के साथ लड़की देखने गया, लेकिन उसे लड़की पसंद नहीं आई। सगाई के बाद उसने शादी के लिए मना कर दिया। आरोप है कि शिवबरन शादी का दबाव बना रहे थे। लड़की के पिता और उसका मामा पूरे परिवार को दहेज प्रथा में फंसाने की ध मकी दे रहे थे, जिसके चलते उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उनका कहना है कि मौत का कारण पारिवारिक कलह सामने आ रहा है। बेटे की तरफ से तहरीर मिलने की जानकारी पर उन्होंने बताया कि अभी तक थाने पर किसी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। मृतक के परिवार में पत्नी, बेटा अंकित और दो बेटियां है।

दिनदहाड़े एफसीआई अफसर की पत्नी की गला रेतकर हत्या

लखनऊ। चिनहट थानाक्षेत्र अन्तर्गत दिनदहाड़े एक महिला की घर में घुसकर गला रेत का निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। जब पति घर पहुंचा तो उसे पत्नी फर्श पर लहूलुहान अवस्था में मिली। इसके बाद पति पत्नी को लेकर सहारा अस्पताल में लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मुआयना कर लोगों से पूछताछ की लेकिन हत्यारोपियों का सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। डीसीपी पूर्वी डॉ ह्रदेश कुमार ने बताया कि छोटा भरवारा गांव में निवासी आर्दश कुमार एफसीआई में कार्यरत है। शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर पत्नी अनामिका (३५) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आर्दश ने बताया कि जिस वक्त घटना हुई तो अनामिका घर पर अकेली थी। जब वह घर पहुंचे तो पत्नी अनामिका फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी और घर में सारा–सामान बिखरा पड़ा था। आनन–फानन आर्दश पत्नी को लेकर सहारा अस्पताल लेकर

पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने अनामिका को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पर वारदात की जानकारी दी। डीसीपी ने बताया कि सूचना मिलते ही चिनहट पुलिस फोर्स के साथ फ रेसिंक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र करने लगी। पुलिस और फॉरेसिंक टीम को घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिलते हैं। प्रभारी निरीक्षक आलोक राव ने बताया कि हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर घटनास्थल से भाग निकले, लेकिन पड़ोसियों की मामले की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। घटनास्थल का मुआयना कर पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो किसी को भी वारदात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने तीन संदिग्धों को भी उठाया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कयास लगाए जा रहे है कि जल्द ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि घर में घुसकर महिला की हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर आस–पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों के जेहन में दिनदहाड़े हुई हत्या को लेकर दहशत मची है। इसके बाद पुलिस चिनहट, गोमतीनगर विस्तार और बीबीडी क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

कैब ड्राइवर की पिटाई कर बदमाशों ने लूटी कार

लखनऊ। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र अन्तर्गत जियामऊ पेट्रोल पम्प के समीप गुरूवार देर रात तीन युवकों ने एक कैब ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर कार लूट ली। इसके बाद युवकों ने सरेराह एक युवती को चलती गाड़ी से अगवा कर लिया। हालांकि कैब ड्राइवर की सूचना पर पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर तीन युवकों और युवती को हिरासत में लिया है। आशंका जताई जा रही है कि यह प्रकरण देह व्यापार से जुड़ा है। जिसमे रुपयों के लेनेदेने के विवाद के बाद मुजफ्फरनगर के युवकों ने युवती को सरेराह चलती गाड़ी से अगवा किया है। गौतमपल्ली प्रभारी निरीक्षक सुधीर अवस्थी ने बताया कि कैब ड्राइवर आशीष ने देर रात पुलिस कंट्रोल रूम पर कार लूट की सूचना दी थी। अशीष ने पुलिस को बताया कि रात एक बजे एक युवती ने गोमतीनगर के हयात होटल से एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी। वह युवती को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था। रास्ते में जियामऊ पेट्रोल पंप के पास तीन युवकों ने उसे रोक लिया। अशीष के विरोध करने पर युवक मारपीट करने लगे। इसके बाद युवक कैब सहित युवती को अपने संग लेकर चले गए। युवती भी लगातार विरोध कर रही थी। इसके बाद आशीष पुलिस कंट्रोल रूम पर युवती के अपहरण और कार लूट की सूचना दी। हालांकि पुलिस ने कैब की नंबर प्लेट के आधार पर मुजफ्फरनगर के तीन

युवक और एक युवती को पकड़ा है। साथ लूट की गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ये युवक एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। जहां देह व्यापार से जुड़ी इस युवती से लेनदेन के विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम चारों लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।

भाजपा नेता की पुत्री का मुसलमान युवक के साथ तय विवाह का कार्यक्रम रद्द

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता व पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की पुत्री का २८ मई को एक मुसलमान युवक के साथ तय विवाह का कार्यक्रम रद्द हो गया है। मीडियाकर्मियों से यहां बातचीत में पूर्व विधायक बेनाम ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए वह मुसलमान युवक के साथ उसका विवाह कराने को राजी हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया तथा स्थानीय स्तर पर इसे लेकर हुई प्रतिक्रिया के मद्देनजर फिलहाल तय विवाह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ''जैसा माहौल बनाया गया है, उसे देखते हुए वधू और वर पक्ष के परिवारों ने साथ बैठकर यह फैसला लिया है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें पुलिस के साये में विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाना शोभा नहीं देता। माहौल अनुकूल नहीं होने के कारण और जनता का ध्यान रखते हुए दोनों परिवारों ने तय किया है कि आगामी २६, २७ और २८ को होने वाले विवाह कार्यक्रम न किए जाएं।'' गौरतलब है कि पिछले दिनों बेनाम की पुत्री मोनिका तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी

मोहम्मद मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं, विवाह कार्यक्रम रद्द होने का कोई कारण बताए बगैर मोनिस के पिता रईस ने कहा कि भाजपा नेता बेनाम की पुत्री के साथ २८ मई को होने वाला उनके पुत्र का विवाह कार्यक्रम रद्द हो गया है। वहीं, शुक्रवार को हिंदुवादी संगठनों विश्व हिंदू परिषद, भैरव सेना तथा बजरंग दल ने कोटद्वार तथा पौड़ी में शादी के विरोध में प्रदर्शन किया था और बेनाम का पुतला भी फूंका था। विहिप (विश्व हिंदू परिषद) के पौड़ी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष दीपक गौड़ ने ऐसे विवाह को गलत बताते हुए कहा, ''बेनाम की पुत्री को या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए या उनके होने वाले दामाद को हिंदू ध र्म अपनाना चाहिए।'' पहले बेनाम यह अन्तरधार्मिक विवाह कार्यक्रम पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया मैदान में आयोजित करना चाहते थे, स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने इसका विरोध ा किया। बाद में बेनाम ने शहर से लगभग छह किलोमीटर दूर घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग क लेज के निकट स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में विवाह का आयोजन रखा और इसके लिए हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार शादी का कार्ड भी छपवाया। हालांकि २८ मई को तय यह विवाह कार्यक्रम रद्द हो गया है।

यमुना नदी में नहाने उतरे मामा-भांजे बहे, एक युवक का शव मिला

आगरा। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में मामा–भांजे यमुना नदी में नहाने के दौरान पानी में बह गए। पुलिस ने बताया कि एक युवक (मामा) का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसके भांजे का पता अभी नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू की। इस संबंध में थाना सिकंदरा के पुलिस निरीक्षक

आनंद कुमार शाही ने बताया कि तलाश के बाद एक युवक (मामा) का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन उसके भांजे की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामा–भांजे की पहचान सुनील (२६) और सौरभ (१७) के रूप में हुई है जो शनि मंदिर में दर्शन करने के लिए घर से निकले थे। पुलिस ने बताया कि उनके साथ उनके पड़ोसी युवक नैना ओर छोटू भी नहा रहे थे। चारों व्यक्ति पश्चिमी मानी घाट पर यमुना में नहा रहे थे कि अचानक सुनील और सौरभ गहरे पानी में बह गये। दोनों को डूबता देख उनके साथ नहा रहे छोटू और नैना यमुना नदी से बाहर आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने गांव और अन्य लोगों को जानकारी दी। मौके पर पुलिस और परिवार के लोग भी पहुंच गए। सुनील पुत्र ताराचंद मथुरा जिले के नगला अमरा का निवासी था और सौरभ पुत्र सुरजीत मथुरा जिले के सहाई का निवासी है।

असम पुलिस की महिला अधिकारी की मौत के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश

नई। दिल्ली। असम पुलिस ने 'लेडी सिंघम' के नाम से जानी जाने वालीपुलिस उप निरीक्षक जुनमोनी राभा की एक कथित सड़क दुर्घटना में मौत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है। एक शीर्ष अधि ाकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। असम के पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह ने कहा कि नागांव और लखीमपुर जिलों में सभी पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, जहां वह सेवारत थीं। उनकी मौत के मामले की जांच शुरूआत में पुलिस के अपराध जांच विभाग को सौंपी गयी थी। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''पुलिस मुख्यालय में सीआईडी दल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद, मैंने सरकार से राभा से जुड़े चार मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है।'' कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने को लेकर 'लेडी सिंघम' के नाम से जानी जाने वाली राभा (३०) की मंगलवार तड़के उस समय मौत हो गयी, जब उनकी कार की नागांव जिले के कालियाबोर उपमंडल के सरुभुगिया गांव में एक कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गयी थी। सिंह ने कहा कि इस मामले के सिलसिले में जनभावना पर गौर करने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। डीजीपी ने कहा कि असम पुलिस के एक अधिकारी की मौत होने के कारण मामले की जांच किसी तटस्थ एजेंसी को सौंपना भी उचित समझा गया। राभा से जुड़े चार मामलों में से तीन नागांव जिले में दर्ज है जहां वह तैनात

थीं। इनमें से पांच मई को दर्ज एक मामले में वह जांच अधिकारी थीं जबकि दो मामले उनकी मौत से संबंधित हैं। वहीं, चौथा मामला कथित आपराधिक षडयंत्र, डकैती, लूट, बंधक बनाने और जबरन वसूली के लिए राभा के खिलाफ लखीमपुर में दर्ज है। इसे उनकी मौत से एक दिन पहले १५ मई को दर्ज किया गया था। सिंह ने कहा कि नागांव और लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक समेत सभी पुलिस अधि ाकारियों के तबादले का फैसला मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद लिया गया है। एक अधिसूचना के अनुसार नबनीत महंत और आनंद मिश्रा को क्रमशरू लीना डोले और बेदानाता माधव राजखोवा की जगह नगांव और लखीमपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। डोले हैलाकांडी के नए एसपी होंगे, जबकि राजखोवा को सहायक महानिरीक्षक (खेल) के पद पर तैनात किया गया है। आपराधियों से सख्ती से निपटने के अपने रवैये के लिए पहचाने जाने वाली राभा नागांव में मोरीकोल ग्न पुलिस चौकी की प्रभारी थीं और वह वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए खबरों में थीं। राभा जनवरी २०२२ में एक और विवाद में फंस गई थीं, जब बिहपुरिया निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अमिय कुमार भुइयां के साथ उनकी टेलीफोन पर बातचीत लीक हो गई थी। सड़क हादसे में मौत के बाद राभा के परिवार और दोस्तों ने किसी साजिश का आरोप लगाया है और इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

मिग–२१ के पूरे बेड़े की उड़ान पर वायुसेना ने लगाई रोक

नई। दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसे का शिकार हो रहे मिग २१ विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। मिग–२१ बेड़े में शामिल होने के बाद से ४०० से अधिक दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। हाल ही में राजस्थान में मिग–२१ विमान के क्रैश होने के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। मिग–२१ लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को रोक दिया गया है क्योंकि ८ मई की दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। लंबे समय तक मिग–२१ भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करते थे। १९६० के दशक की शुरुआत में शामिल किए जाने के बाद, भारतीय वायु सेना ने अपने समग्र युद्धक कौशल को बढ़ाने के लिए ७०० से अधिक मिग–२१ लड़ाकू विमानों की खरीद की। वर्तमान में आईएएफ के पास लगभग ५० विमानों के साथ तीन मिग –२१ स्क्वाड्रन हैं। आईएएफ ने पिछले साल शेष मिग –२१ लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध करने के लिए तीन साल की

समयसीमा को अंतिम रूप दिया। सोवियत मूल के विमान बेड़े को हटाने की योजना भारतीय वायुसेना के आध ुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। संसद के बजट सत्र के दौरान रक्षा मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में एक रिपोर्ट के जरिये इसके नुकसान के बारे में बताया गया था। हालांकि इन बताए गए हादसों में वायुसेना के २९, सेना के १२ और नौसेना के ४ शामिल हैं। हादसों में शहीद जवानों में ३४ वायुसेना, ७ सेना और १ नौसेना के हैं। हादसों में नागरिकों की मौत के बारे में उल्लेख नहीं किया गया। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि नए विमानों को सैन्य बलों को सौंपने की प्रक्रिया में देरी के कारण सेना को जर्जर चीता, चेतक और मिग २१ जैसे विमानों को उड़ाना पड़ रहा है। फरवरी के महीने में बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत के वायुसीमा में घुसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमारे वायुयोद्धाओं ने खदेड़ दिया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पुरानी तकनीक वाले मिग २१ से पाकिस्तान के एफ–१६ को मार गिराया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में ५ घंटे में रिकॉर्ड ३५७ फाइलों का हुआ निस्तारण

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शनिवार को 'सिंगल टेबल क्लीयरेंस डे' का आयोजन हुआ। दोपहर १२ से शाम ५ बजे तक हुए इस आयोजन में रिकार्ड ३५७ फाइलों का निस्तारण हुआ। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि शनिवार को पहली बार सिंगल टेबल क्लीयरेंस डे का आयोजन किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने स्वयं लंबित फाइलों की समीक्षा की और कई दिनों से लंबित प्रकरणों पर जवाब–तलब किया। कई प्रकरणों में स्वयं आवेदनकर्ता से फोन पर बात कर निस्तारण कराया। डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न पटलों पर ३५७ फाइलों का निस्तारण किया गया। जिसमें

रजिस्ट्री के ७२ , म्यूटेशन के ५३, प्लानिंग के ३२, अभियंत्रण के १२१, शमन मानचित्र के १२, फ्रीहोल्ड के २४, गणना के २८ व नजूल एवं ट्रस्ट की १५ पत्रावलियों का निस्तारण किया गया।

समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून से होः पीएम मोदी

नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के समाचार पत्र 'योमिउरी शिमबुन' से एक साक्षात्कार में कहा कि जी७ और जी२० शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के लिए अहम मंच हैं। मोदी जी७ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा गए हैं। उन्होंने कहा, 'जी२० (जी२०) के अध्यक्ष के तौर पर मैं हिरोशिमा में जी७ (जी७) शिखर सम्मेलन के दौरान 'ग्लोबल साउथ' के नजरिये एवं प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, आर्थिक सुधार, ऊर्जा अस्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शांति एवं सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी७ और जी२० के बीच सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।' मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है और इन मुद्दों पर वैश्विक सहयोग में योगदान देती है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर प्रधानमंत्री के विचारों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर मतदान से भारत के दूर रहने एवं रूस से तेल आयात में वृद्धि को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर भारत के रुख के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि भारत विवादों को हल करने के लिए बातचीत एवं कूटनीति की वकालत करता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री

ने कहा, भारत आक्रमण की निंदा करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों से दूर रहा, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र में और उससे भी परे रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार है। यह पूछे जाने पर कि भारत दक्षिण चीन सागरऔर पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार और ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव से कैसे निपटेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून एवं क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जा सके, मोदी ने कहा, भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रध ानमंत्री से जब पूछा गया कि प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को लेकर उनकी क्या राय है और वैश्विक शांति एवं स्थिरता हासिल करने के लिए भारत उनके साथ कैसे काम करेगा, उन्होंने कहा कि दुनिया को कोविड–१९ वैश्विक महामारी, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवध ान, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकासशील देश असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है और जापान एवं अन्य भागीदारों के सहयोग से मानव–केंद्रित विकास पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य विभिन्न आवाजों के बीच एक पुल के रूप में काम करना और मानवता की बेहतरी के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है।

बुराड़ी में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और उनकी पत्नी को गोली मारी

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने दिल्ली पुलिस के ३५ वर्षीय हेड कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गोली मार दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार रात पौने १० बजे के आसपास हुई, जब दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में तैनात हेड कांस्टेबल अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था। अधिकारी के मुताबिक, हमलावर कथित तौर पर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकदी छीनकर ले गए। उन्होंने बताया कि हमले में हेड कांस्टेबल के पेट में चोट आई, जबकि उसकी पत्नी की ठोड़ी चोटिल हो गई। हालांकि, दोनों अब खतरे से बाहर हैं। अधिकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल और उसकी पत्नी पर हमले के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है।

कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरा सौभाग्यः रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद गुरुवार को किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरा सौभाग्य रहा। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, अन्य न्यायाधीशों और कानून अधिकारियों को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले दिन में एक बड़े कैबिनेट फेरबदल में, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को किरेन रिजिजू की जगह कानून मंत्रालय सौंपा गया। रिजिजू को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। ट्विटर पर रिजिजू ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही है। न्यायाधीशों को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने कहाः मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाध

ीश डी वाई चंद्रचूड़, स्सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाध ीशों, निचली अदालतों के न्यायाध ीशों और पूरे कानून अधिकारियों को न्याय की आसानी सुनिश्चित करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, मैं भू–विज्ञान मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को उसी जोश के साथ पूरा करने के लिए तत्पर हूं। मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में इसे स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया और किरण रिजिजू को भू–विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया। मेघवाल को उनके वर्तमान मंत्रालय के साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।

विपक्षी एकता में पड़ी दरार! कर्नाटक को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर लगाया यह बड़ा आरोप

लखनऊ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस जीत के बाद है कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया ने कर्नाटक में शपथ भी ले ली। वहीं, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश की। कई विपक्षी दलों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। हालांकि, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। बावजूद इसके माना जा रहा है कि विपक्ष एकता में मायावती की भूमिका बड़ी हो सकती है। इन सब के बीच मायावती ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसको लेकर मायावती ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट के जरिए मायावती ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरान्त मंत्रिमण्डल में डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अन्दरुनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किन्तु दलित व मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अन्देखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना यह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है अर्थात इनको यह वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहें।। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धरमैया के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर, एम बी पाटिल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कार्जुन खरगे के पुत्र प्रियंक खरगे, वरिष्ठ नेता के एच मुनियप्पा, के जे ज र्ज, सतीश जार्कीहोली, रामालिंगा रेड्डी और बी जेड जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्थानीय श्री कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धरमैया, शिवकुमार और अन्य नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

केंद्र का अध्यादेश 'संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघवाद व चुनी हुई सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियों का पूरी तरह से उल्लंघन है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, राघव चड्ढा ने कहारू संघवाद के पूर्ण उल्लंघन में एक लापरवाह राजनीतिक अध्यादेश द्वारा एक सुविचारित, सर्वसम्मत संविधान पीठ के फैसले को पलटना, संविध ान के मूल ढांचे का हिस्सा, निर्वाचित सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियां, मंत्रियों के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही का सिद्धांत और यह न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है बल्कि मतदाताओं की भी अवमानना है। उनकी टिप्पणी केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज के लिए अध्यादेश जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसने दिल्ली सरकार को 'सेवाओं' का नियंत्रण दिया था। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजध ानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह) के साथ स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों में दिल्ली एलजी को सिफारिशें करने के लिए होंगे। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। ११ मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह मानना सही है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के अलावा हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें हिसाब में रखने में सक्षम नहीं है, तो विधायिका के साथ–साथ जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। शीर्ष अदालत द्वारा अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिये जाने के बाद यह अध्यादेश आया।

२००० के बाद अब ५०० रुपए का भी नोट बंद करने की माँग तेज

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने २००० रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है जिसका देशभर में स्वागत किया जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। लेकिन देश में यह मांग भी बलवती हो रही है कि ५०० रुपए का भी नोट बंद किया जाये क्योंकि अमेरिका और यूरोप में भी १०० रुपए से ज्यादा का नोट नहीं है इसीलिए वहां भ्रष्टाचार कम है। इस मांग के समर्थन में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि भारत डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करने में दुनिया में सबसे आगे है इसलिए अब कागज के बड़े नोटों की आवश्यकता नहीं है। जहां तक २००० रुपए के नोट की बात है तो आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि २००० रुपए मूल्य के नोट बैंकों में जाकर ३० सितंबर तक जमा कराये या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि लोग किसी भी बैंक शाखा में जाकर २३ मई से ३० सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई के १९ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी २,००० रुपये के नोट को बदलने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि एक बार में सिर्फ २०,००० रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। बहरहाल आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के २,००० रुपये के नोट बैंकों में जमा कर सकता है। लेकिन उसने एक बार में अधिकतम १० नोट ही बदले जाने की बात कही है। आरबीआई ने एक बयान में यह भी कहा है कि अभी चलन में मौजूद २,००० रुपये के नोट ३० सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से २,००० रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। हम आपको यह भी बता दें कि आरबीआई का यह कदम नवंबर, २०१६ के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है जिसमें घोषणा की आधी रात से ही ५०० एवं १,००० रुपये के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी समय आरबीआई ने २,००० रुपये के नोट जारी किए थे। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बताया है कि ३० सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए २,००० रुपये के नोट की क्या स्थिति होगी। सूत्रों के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हम आपको यह भी बता दें

कि केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऊंचे मूल्य वाले नोट का इस्तेमाल काला धन जमा करने में किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच उठाया है। आरबीआई ने २,००० रुपये के नए नोट छापना वित्त वर्ष २०१८–१९ में ही बंद कर दिया था और धीरे–धीरे उनका चलन काफी कम हो चुका है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, ऐसा देखा गया है कि २,००० रुपये मूल्य के नोट का इस्तेमाल अब लेनदेन में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्यों के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं होगी। आरबीआई के मुताबिक २,००० रुपये के करीब ८६ प्रतिशत नोट मार्च, २०१७ से पहले ही जारी किए गए थे और अब उनका चार–पांच साल का अनुमानित जीवनकाल खत्म होने वाला है। इस बीच, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने इस फैसले की घोषणा के बाद एक टीवी चौनल के साथ बातचीत में कहा कि यह फैसला नवंबर २०१६ में की गई नोटबंदी से अलग है और इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ३० सितंबर तक जमा नहीं किए जाने वाले नोट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बैंकों के पास इससे निपटने की समुचित व्यवस्था होगी। वहीं पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने कहा कि आरबीआई के इस कदम का मकसद उच्च मूल्य वाले नोट पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का है। उन्होंने कहा कि २,००० रुपये के आधे नोट पहले ही वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो चुके हैं। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गांधी ने कहा है कि २,००० रुपये के बैंक नोट वापस लेने से काले धन पर रोक लगाने में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा क्योंकि लोग यह नोट जमा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आर. गांधी ही वर्ष २०१६ में ५०० और १,००० रुपये के नोट चलन से हटाये जाने के समय आरबीआई में मुद्रा विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि भुगतान पर किसी भी प्रणालीगत प्रभाव की संभावना नहीं है क्योंकि इन नोटों का उपयोग दैनिक भुगतानों में नहीं किया जाता है। ज्यादातर भुगतान डिजिटल माध्यम से होते हैं। इस बीच, उच्चम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मुद्दे पर कहा है कि जिस सामान की डत्व ५,००० रुपए से ज्यादा है, यदि उसका कैश लेनदेन बंद हो जाए तथा ५०,००० से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो ५०: भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि १०० रुपए से ज्यादा बड़े नोट की आवश्यकता नहीं है।

कैसे केंद्र सरकार के अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर दिया अमान्य

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दस दिन पहले दिए गए आदेश का विरोध करते हुए केंद्र ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार उपराज्यपाल का था, न कि दिल्ली सरकार का। केंद्र सरकार ने स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, १९९१ में संशोधन के रूप में लाया गया है और इसमें एक श्राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरणश के गठन का आह्वान किया गया है जो स्थानांतरण और पोस्टिंग के निर्णय में एक छोटा सा हितधारक होगा। प्राधिकरण का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे। कोई भी मामला जिस पर निर्णय लेने की

आवश्यकता है, बहुमत के मतों के माध्यम से किया जाएगा। अध्यादेश के मुताबिक अथ रिटी नौकरशाहों के तबादले और कार्यकाल के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिश कर सकती है। राज्यपाल सिफारिश को प्रभावी करने के लिए या तो अनुमोदन कर सकते हैं, या प्राधिकरण को फाइल वापस कर सकते हैं। मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, एलजी को दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को नियंत्रित करने की बेलगाम शक्तियां दी जाएंगी। यह अध्यादेश प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट के ११ मई के फैसले को पलट देता है जिसमें कहा गया था कि ष्प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्य की निर्वाचित शाखा में रहती है'। **CJI** चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आगे कहा कि 'संवैधानिक रूप से स्थापित और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है'। केंद्र ने दिल्ली की 'विशेष स्थिति' और इस तथ्य का हवाला देते हुए अध्यादेश का बचाव किया है कि इसका दोहरा नियंत्रण है। अध्यादेश में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय न केवल दिल्ली के लोगों बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है'। अध्यादेश में आगे कहा गया है कि स्थानीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए योजना को संसदीय कानून (अदालत के फैसले के खिलाफ) के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। अध्यादेश में आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी संसदीय कानून की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया और इसलिए यह अध्यादेश जारी किया जा रहा था। अध्यादेश लाने के लिए केंद्र द्वारा उद्धृत सभी कारणों में सामान्य विषय दिल्ली के नागरिकों के हितों को पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा के साथ संतुलित करना है। अध्यादेश को कानून की अदालत के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अध्यादेश को लागू करने के लिए 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता थी या नहीं। अगर दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस जाती है, तो केंद्र को यह साबित करना होगा कि 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता थी और अध्यादेश सिर्फ विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी नहीं किया गया था।

धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब–तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए सत्येंद्र जैन को राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की छूट दे दी। जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन ३५ किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त स लिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया। पीठ ने कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में जैन की जमानत याचिका छह अप्रैल को खारिज कर दी थी। अदालत ने गवाहों के इस दावे को संज्ञान में लिया था कि जैन कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ता और वित्त पोषक थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई–) द्वारा २०१७ में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जैन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें ध न शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जैन को छह सितंबर २०१६ को नियमित जमानत दे दी थी। वर्ष २०२२ में निचली अदालत ने ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।

योगी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने १ जनवरी, २०२३ से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता

(डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है। मंगलवार देर रात आए फैसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे राज्य के १६.३५ लाख कर्मचारियों और ११ लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा,१६.३५ लाख राज्य कर्मचारियों और यूपी सरकार में सेवारत ११ लाख पेंशनरों के हित में, सरकार ने १ जनवरी से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को ४ प्रतिशत बढ़ाकर ३८ प्रतिशत से ४२ प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

यूपी के पूर्व मंत्री हरि शंकर तिवारी का निधन

गोरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरि शंकर तिवारी का मंगलवार रात गोरखपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे पिछले कुछ सालों से किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार बुधवार को गोरखपुर जिले के बरहलगंज शहर के मुक्ति पथ पर किया जाएगा। तिवारी बरहलगंज कस्बे के टांडा गांव के रहने वाले थे। पढ़ाई के बाद वह रेलवे में ठेकेदारी करने लगे और बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे। उन्होंने गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार पांच बार जीत हासिल की। वह २००७ में वहां से चुनाव हार गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में

कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह और अन्य सरकारों के अधीन मंत्री के रूप में कार्य किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तिवारी के निधन पर दुख जताया है।

हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी बरी, पर रहेंगे जेल में

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)। गाजीपुर की सांसदधविधायक अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला २००६ का है। मीर हसन ने सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पांच बार के विधायक मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता के रूप में नामित किया था। उस समय अंसारी पहले से ही जेल में बंद था। मुख्य आरोपी सोनू यादव को भी बरी कर दिया गया है। हालांकि, इस मामले में बरी होने के बावजूद मुख्तार जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं।

उप्र में भीषण सड़क दुर्घटना में मां-बेटी की मौत, १२ घायल

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू इलाके में एक निजी बस ट्रैक्टर से बंधी बोरिंग मशीन से टकरा गई, जिससे उसमें सवार मां–बेटी की मौत हो गई, जबकि १२ अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार शाम एक निजी बस कुछ यात्रियों लेकर अलीगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी पहासू थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव के पास आगे जा रही ट्रैक्टर में लगी हुई बोरिंग मशीन अचानक खुलकर सड़क पर पलट गई और पीछे से आ रही निजी बस उससे जा टकराई। सूत्रों के मुताबिक, हादसे में बस (ठने) में सवार १४ लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया,

जहां नजमा (४१) और उसकी बेटी मुस्कान (१४) की इलाज के दौरान मौत (कपमक) हो गई। सूत्रों ने बताया कि हादसे में घायल १२ अन्य लोगों का इलाज जारी है। वहीं, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने पर अखिलेश राजी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिरकार २०२४ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने पर राजी हो गए हैं। सपा के रुख में यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पार्टी अब तक कांग्रेस को बीजेपी की बी–टीम करार देते हुए इसका विरोध कर रही थी। अखिलेश ने अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है, उसे वहां चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश के रुख में बदलाव कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जो उत्तर प्रदेश में सपा और बहुजन समाज पार्टी के विरोध का सामना करती रही है, जहां कांग्रेस कमजोर है। सपा प्रमुख ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और अन्य दलों की भी यही राय है। गौरतलब है कि विपक्षी एकता पर चर्चा करने के लिए नीतीश ने पिछले महीने

लखनऊ में अखिलेश से मुलाकात की थी, लेकिन अखिलेश ने मोर्चे में कांग्रेस को शामिल करने पर चुप्पी बनाए रखी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि उनकी पार्टी जहां कांग्रेस मजबूत होगी, वहां उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी क्षेत्रीय पार्टियों को जहां वे मजबूत हैं, वहां उनका समर्थन करना चाहिए। कर्नाटक चुनाव पर एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि राज्य के लोगों ने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा नफरत की राजनीति करती है, लेकिन उसे कर्नाटक में जनता ने हरा दिया है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया और इसने भाजपा की जीत को भी फर्जी बना दिया। यादव ने कहा, चुनाव के दौरान अधिकारी भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रहे थे। बीजेपी ने मेयर के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी १७ सीटों पर जीत हासिल की है।

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में तीन नेता बरी

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े ११ साल पुराने एक मामले में बसपा के पूर्व सांसद बब्बन राजभर और सपा के पूर्व विधायक सनातन पांडे और राम इकबाल सिंह को बरी कर दिया है। उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों नेताओं पर २ दिसंबर, २०१२ को आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। चुनाव उड़नदस्ता के कार्यपालक दंडाधिकारी शरद कुमार सिंह की शिकायत पर रसदा

थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पेशल कोर्ट एमपी विधायक एडिशनल सीजेएम तपस्या त्रिपाठी ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया। बब्बन राजभर सलेमपुर से बसपा सांसद रह चुके हैं और उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा से रसड़ा से लड़ा था। सनातन पांडेय और राम इकबाल सिंह चिलकहर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। सपा के टिकट पर बलिया से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सनातन पांडे अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री थे।

पुलिसवालों को चप्पलों से पीट रहे क्रिकेटरों का वीडियो वायरल

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दो रणजी क्रिकेट खिलाड़ियों को कथित तौर पर पीटने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें क्रिकेटर पुलिसकर्मियों को चप्पलों से पीटते नजर आ रहे हैं। सिविल लाइंस क्षेत्र के अंचल अधिकारी अरविंद चौरसिया ने बताया कि नए वीडियो के आधार पर एक नई रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। उन्होंने कहा, अधिकारियों को नए सबूतों की जांच करने और निर्णय लेने दें शामली जिले के क्रिकेटर प्रशांत चौधरी और उनके साथी क्रिकेटर विनीत पंवार रणजी खिलाड़ी बताए जाते हैं और भामाशाह पार्क में अभ्यास करते हैं। वे पार्क के पास रहते भी हैं। पुलिस वाहन को गलत तरीके से पार्क करने को लेकर दोनों खिलाड़ियों की रविवार शाम सीनियर सब इंस्पेक्टर (एसआई) वरुण शर्मा और एसआई जितेंद्र से कहासुनी हो गई थी। कहासुनी मारपीट में बदल गई और बाद में खिलाड़ियों की शिकायत पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। नए वीडियो में दिख रहा है कि खिलाड़ियों ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और सर्किल ऑफिसर ने मामले में एक अतिरिक्त रिपोर्ट सौंपी।

सहायक प्रोफेसर का दलित विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उच्च जाति की सहायक प्रोफेसर ने अपने विभाग के दलित प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सहायक प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुनील वर्मा ने उसकी इच्छा पूरी न करने पर उसे एससीएसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी। उसने शैक्षिक निदेशक पर विभागाध्यक्ष के साथ मिलीभगत करने और अश्लील टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आरोपी की बात मानने के लिए निदेशक ने उसे समझाने का प्रयास किया। प्राथमिकी के मुताबिक, मोहनलालगंज की रहने वाली पीड़िता असिस्टेंट प्रोफेसर है और वर्मा काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। मिल एरिया एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि वर्मा और निदेशक दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रायबरेली के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सीओ रैंक के एक अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों को जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।

सरकार ने वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराने की दिशा में उठाया कदम, 15 दिन में जारी होगा सर्टिफिकेट

लखनऊ। वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर अब वाहन स्वामियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली १९९८ को संशोधित करते हुए प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी है। शासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद नियमावली को उत्तर प्रदेश मोटरयान (२९वां संशोधन) नियमावली २०२३ कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत फिटनेस टेस्ट के लिए वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसी जनपद में टेस्ट के लिए वाहन को ले जाना होता था, जहां उसकी रजिस्ट्री हुई हो। लेकिन इस संशोधन के बाद इससे प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। नियमावली में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार राज्य के किसी भी जिले में वाहन के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यदि वाहन किसी अन्य राज्य में प्रचालित किया जा रहा है तो विहित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या स्वचालित परीक्षण केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षण का संचालन रजिस्ट्रीकृत जिले से अलग किसी अन्य जिले में किया जाता है तो वहां निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र को उसी दिन या अनुवर्ती कार्यदिवस में अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा वाहन, अधिनियम तथा नियमावली के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट १५ दिन में जारी किया जाएगा। हालांकि, इसके बाद अगला प्रमाण पत्र जहां वाहन की रजिस्ट्री हुई है,

वहीं किसी प्राधिकृत परीक्षण केंद्र से प्राप्त किया जाएगा। इससे पहले जो व्यवस्था थी, उसमें विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ही होता था। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन पत्र उसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र के समक्ष रखा जाता था, जिसके कार्यक्षेत्र में वाहन आता हो। किसी वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र अधिनियम व नियमावली के अनुरूप वाहन के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र स्वीकृत करेंगे। वाहन स्वामी फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने के दिन से ६० दिन के अंदर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र के समक्ष परीक्षण फीस के साथ वाहन प्रस्तुत कर सकता है। यदि यान परीक्षण में असफल रहता है तो पुनः परीक्षण के लिए वाहन स्वामी तय फीस अदा कर फिर टेस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट की समाप्ति के बाद रिन्यूअल का आवेदन किया जाता है तो रिन्यूअल सर्टिफिकेट जारी किए जाने के दिनांक से प्रभावी होगा। वहीं यदि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने के पूर्व रिन्यूअल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में रिन्यूअल, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। संशोधनों में कुछ नियमों को खत्म कर दिया गया है। इनमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र अब यान के अगले निरीक्षण के लिए दिन तय नहीं कर सकेगा। साथ ही यान स्वामी के प्रमाण पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर आवेदन करने और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए दिन व समय की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। यदि स्वामी यान के ठीक होने का प्रमाण पत्र समाप्त होने के पूर्व निरीक्षण के लिए यान प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे तय फीस के साथ ही उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा।

सुरवीन चावला एक दशक के बाद कान फिल्म फेस्टिवल में होंगी शामिल

मुंबई। एक्ट्रेस सुरवीन चावला प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल २०२३ में नजर आएंगी। प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में सुरवीन का यह दूसरा मौका है। उन्होंने २०१३ में कान में अपनी फिल्म 'अग्ली' के लिए शुरूआत की थी। इस बारे में बात करते हुए सुरवीन ने कहा, मैं प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में दूसरी बार जाने को लेकर उत्साहित हूं। कान मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है और इस प्रतिष्ठित रेड कार्पेट का हिस्सा बनना एक अविश्वसनीय सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली रही हूं कि मुझे साल के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें फिल्म दिग्गज, फैशन एक्सपर्ट्स और मनोरंजन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम शामिल हुए। मैं हाई फैशन

लेंस के माध्यम से हमारी वाइब्रेंट कल्चर का एक हिस्सा प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक हूं। सारा अली खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, उर्वशी रौतेला सहित कई ब लीवुड हस्तियों ने वहां रेड कार्पेट पर अपना बेस्ट फैशन पेश किया।

कान में लैंगिक समानता सम्मेलन में सम्मानित अतिथि होंगी श्रुति हासन

मुंबई। एक्ट्रेस श्रुति हासन लैंगिक समानता पर आयोजित होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मानित अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगी।

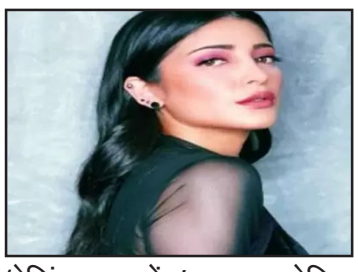

'ब्रेकिंग थ्रू द लेंस' द्वारा आयोजित 'एक्टिवेटिंग चेंज' टाइटल वाले सम्मेलन का उद्देश्य एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना और अधिक न्यायसंगत और समावेशी वातावरण बनाने के तरीकों का पता लगाना है। श्रुति महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर अपने विचारों को लेकर बहुत मुखर रही हैं। एक्ट्रेस लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल की प्रबल समर्थक रही हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो, श्रुति अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 'द आई' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा, उनके पास एक्शन से भरपूर फिल्म 'सलार' भी है। इस फिल्म में एक्ट्रेस प्रभास के साथ एक्टिंग करती नजर आएंगी। ब्लॉकबस्टर केजीएफ फिल्म निर्माता प्रशांत नील द्वारा निर्देशित है।

सारा अली खान का कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू

नई दिल्ली। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल २०२३ का रेड कार्पेट पहले दिन चकाचौंध और भव्यता से भरा रहा। एक्टर सारा अली खान ने अपने कान फिल्म फेस्टिवल की शुरूआत के लिए एक देसी लुक चुना, जिसने कई दिल जीत लिए। उन्होंने सिल्वर एम्बेलिश्ड ड्रेस के साथ नाओमी कैंपबेल चोपर्ड ज्वेलरी पहनीं। कान फिल्म फेस्टिवल २०२३ के पहले दिन के कुल लुक्स को काफी पसंद किया गया। सारा अली खान ने अबू जानी संदीप खोसला द्वारा डिजाइन की गई हाथ से कशीदाकारी मल्टी–पैनल ड्रेस में अपना कान्स डेब्यू किया। यूनिक एम्ब्र यडरी के चलते अबू जानी संदीप खोसला का यह डिजाइनर ड्रेस लोगों को काफी पसंद आया। सारा ने क्रिस्टल, मोतियों और रेशम से सजी एक शानदार ब्लाउज पहना था। वहीं लहंगा लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहा था। अंग्रेजी म डल नाओमी कैंपबेल (छंवउप ब्ंउचइमसस) ने १८ कैरट सफेद सोने में सिल्वर सेक्विन ड्रेस और चोपर्ड इयररिंग्स में २४.१२ कैरेट के हीरे जड़े। टाइटेनियम में एक ब्रेसलेट में ६.७७ कैरेट के हीरे जड़े। १८ कैरेट के सफेद सोने के ब्रेसलेट में ६०.६ कैरेट के हीरे जड़े थे। इसके अलावा, १८ कैरट सफेद सोने की एक अंगूठी थी, जिसमें १०.०६–कैरेट ब्रिलियंट–कट हीरे लगे थे। कैथरीन एक्ट्रेस कैथरीन जेटा–जोन्स ने ल कट वाली रेड ड्रेस और चोपार्ड रेड कार्पेट कलेक्सन से ३३.४३–कैरेट के माणिक और ८.५६ कैरेट के गुलाबी नीलम और हाउते जोआलेरी कलेक्शन से हीरे और गुलाबी

नीलम की विशेषता वाले झुमके ऐड किए। अमेरिकी एक्ट्रेस उमा थुरमन ने रेड कार्पेट कलेक्शन के हार में १८ कैरट के सफेद फेयरमिन्ड–सर्टिफाइड गोल्ड में २२३.८९–कैरेट के माणिक, ३२.५४–कैरेट के हीरे और २३.६१–कैरेट के नीलम की विशेषता दिखाई। उन्होंने १८ कैरट व्हाइट गोल्ड में हीरे के साथ दिल के आकार के माणिक की एक जोड़ी, १८ कैरट व्हाइट गोल्ड में २४.०३ कैरेट के माणिक की विशेषता वाला एक ब्रेसलेट, १८ कैरट व्हाइट गोल्ड में ७३.६६ कैरेट के हीरे की विशेषता वाला एक ब्रेसलेट भी पहना था। १८ कैरट के व्हाइट गोल्ड में हीरे की अंगूठी थी।

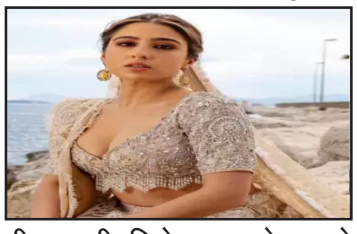

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lat; cktibZ
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqjs'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
C;wjks phQ
eÅ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक